

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक— 1743 /5-3 दिनांक, मथुरा, 25 दिसम्बर, 2016.

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

1- महानगिरि, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा, किसी भी पंजीकृत पौधशालाओं से कैम्पा एवं अन्य विभागीय आयोजनाओं हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के द्वारा बताए गए स्थलों पर 8 से 12 फिट ऊँचाई की विभिन्न प्रजातियों की बड़ी थैली पौध आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 30.12.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदा उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2016 को सांय 4.00 बजे खोले जायेगी। दिनांक 30.12.2016 का अवकाश होने पर निविदाये अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। निविदादाता चाहे तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर बड़ी थैली पौध आपूर्ति हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है। समस्त स्थलों पर बड़ी थैली पौध की आपूर्ति हेतु एक निविदा फार्म क्रय करना होगा तथा बन्द लिफाफे में ही निविदा बाँकष में डालना होगा।

2-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | कार्य की मात्रा | कार्य की अनुमानित लागत लाख में | आपूर्ति स्थल का नाम | अर्नेस्ट मनी की धनराशि | टैण्डर फार्म का मूल्य | कार्य समाप्ति की तिथि |
|----------|---|----------------------|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मथुरा का प्रभाग की विभिन्न पौधशाला पर शोशम, नीम, पीपल पापड़ी, तमाल, पाकड़, कंजी, कदम्ब, जामुन व पारिजात आदि प्रजातियों की 8 से 12 फिट ऊँचाई की स्वस्थ बड़ी थैली पौध आपूर्ति मय दुलान, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित। | 20,000 बड़ी थैली पौध | 14.00 लाख | प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा के द्वारा बताए गए स्थलों पर | 30,000 | (500+100) = 600 रु | आपूर्ति आदेश के दि० से पन्द्रह दिन के अन्दर |

3-निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र अलग-अलग हैं, जिसे अलग-अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनों बन्द लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर टैण्डर दिनांक 30.12.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। उपरोक्त दिनांक व समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4- कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं० 7 में अंकित है।

5-कॉलम संख्या-3 में दी गयी मात्रा आपूर्ति स्थलवार कम या अधिक हो सकती है। आपूर्ति बजट की उपलब्धता एवं कार्य की स्वीकृति से आच्छादित होगी।

6-निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 26.12.2016 से दि० 30.12.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे सांय 4.00 बजे तक तथा दिनांक 29.12.2016 के दोपहर 1.00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुमूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो "प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा" के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, स्वर्ण मार्ग स्थित, फोरेस्ट कॉलोनी, मथुरा के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

7- दिनांक 30.12.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे बक्सा सील कर दिया जायेगा।

8-समस्त कार्यो को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

9-निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०सी०डी०ए० या पोस्ट आफिस की ए-०एस०सी० के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरुमित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।

10- अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुग्रह से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता को जगानत जब कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

11-अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

12-स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प ड्यूटी व अन्यकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

13-किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, आगरा वृत्त आगरा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

महाराष्ट्र
सामाजिक वार्ताका प्रभाग
प्रमाणित निदेशक

- 16- प्रतिष्ठान
- 15- प्रमाणीकरण
- 14- प्रमाणित निदेशक
- 13- प्रमाणित निदेशक
- 12- प्रमाणित निदेशक
- 11- प्रमाणित निदेशक
- 10- प्रमाणित निदेशक
- 9- प्रमाणित निदेशक
- 8- प्रमाणित निदेशक
- 7- प्रमाणित निदेशक
- 6- प्रमाणित निदेशक
- 5- प्रमाणित निदेशक
- 4- प्रमाणित निदेशक
- 3- प्रमाणित निदेशक
- 2- प्रमाणित निदेशक
- 1- प्रमाणित निदेशक

महाराष्ट्र
सामाजिक वार्ताका प्रभाग
प्रमाणित निदेशक

- 23- प्रमाणित निदेशक
- 22- प्रमाणित निदेशक
- 21- प्रमाणित निदेशक
- 20- प्रमाणित निदेशक
- 19- प्रमाणित निदेशक
- 18- प्रमाणित निदेशक
- 17- प्रमाणित निदेशक
- 16- प्रमाणित निदेशक
- 15- प्रमाणित निदेशक
- 14- प्रमाणित निदेशक